न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्रकरण 88/2020 (आर.सी.एम.एस. न. 2020/00114) व इजलास हेमन्त कुमार

(R.A.S)

उनवान

करतार पुत्र रुजदार जाति मेव निवासी ग्राम कल्याणपुर तहसील डीग(भरतपुर)राज०

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला भरतपुर(राज०)

–प्रति०

दावा बाबत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89
राज० टि० एक्ट.

निर्णय दिनांक 05.01.2023

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ. ख. नम्बर 396/0.56, वाके ग्राम खोह तहसील डीग में स्थित है। गत आराजी खसरा नम्बर 2257/1–12बीघा, 2258/1–8बीघा, 2260/1–4बीघा, 2261/0–7 बीघा, वाके ग्राम खोह तहसील डीग, रामलाल पुत्र मोरीलाल जाति खत्री की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसे वादी ने उक्त रामलाल पुत्र मोरीलाल से सन 1975 में यानि हाल बन्दोवस्त से पूर्व जरे बय अदा कर क्रय कर लिया और वादी उक्त आराजी पर मुताबिक बयनामा काबिज हो गया। उक्त विक्रेता/खातेदार रामलाल पुत्र मोरीलाल वादी के पक्ष में विवादित आराजी सम्बन्धित सभी हक त्यागकर कुछ बर्ष बाद लावल्द बिला औरत फौत हो गया जिसके बाद उक्त आराजी विरासतन रामलाल पुत्र मोरीलाल के भाई लट्टाराम के पुत्र मनोहरलाल एवं पुत्री इन्दिरा देवी के नाम बतौर वारिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी जिस पर वादी ने उक्त मनोहरलाल व इन्दिरादेवी से गत ख0नम्बर 2257/1–12बीघा, 2258/1–8बीघा, 2260/1–4 बीघा, 2261/0–7 बीघा, वाके ग्राम खोह तहसील डीग, को उनके ताऊ रामलाल पुत्र मोरीलाल से पूर्व में ही सन 1975 में क्रय करने के बारे में बताया तो उन्होंने दिनांक 31.05.2000 एवं 1912.2000 को दो पृथक पृथक बयनामा वादी के पक्ष में उक्त गत खसरा नम्बरान से बने नवीन ख0नम्बर 309/0.30, 310/0.40, वाके ग्राम खोह तहसील डीग का सब रजिस्ट्रार डीग ने तहरीर/तस्दीक किया गया। वादी द्वारा सन 1975 में गत खसरा नम्बरान 2257, 2258, 2259, 2260 क्रय करने के पश्चात गत खसरा नम्बर 2258 के मध्य से डीग से सीकरी जाने वाली सडक ग्राम खोह से होकर बनाई गई जिससे गत ख0 नम्बर 2258 दो भागों में विभाजित हो गया तथा गत ख0 नम्बर 2258 का कुछ भाग

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

Scanned by
AnyScanner

डीग से सीकरी सडक निकलने से सडक के दक्षिण की तरफ शेष रहा तथा शेष भाग सडक के उत्तर की ओर स्थित रहा। उक्त दोनों हिस्सों पर वादी वाहैसियत खातेदार काश्तकार लगातार काबिज रहा। उक्त सडक निकलने के पश्चात तहसील डीग में बंदोवस्त की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर बंदोवस्त विभाग द्वारा गत ख0 नम्बर 2257/1–12, 2258/1–8 बीघा कुल रकबा 3 बीघा से नवीन ख0 नम्बर 310/0.40 कायम किया गया जोकि गत रकबा 3बीघा जिसकी नवीन पैमाईश में 48 ऐयर आराजी होती है, के मुकाबले 8 ऐयर आराजी कम दर्ज की गई तथा उक्त ख0नम्बर 310/0.40 का नवीन नक्सा में डीग से सीकरी जाने वाली सडक को प्रदर्शित करते हुए बंदोवस्त विभाग द्वारा नक्सा तैयार किया गया जिसमें वादी के गत ख0नम्बर 2258 के शेष भाग जो सडक के दक्षिण की तरफ रहा को गलत तरीके पर विवादित ख0 नम्बर 396/0.56 किस्म गैर मु0रास्ता में शामिल कर दिया और प्रति0 राज0 सरकार के नाम गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के रूप में दर्ज कर दिया,जबकि वादी के 8 ऐयर आराजी मौके पर पृथक से रास्ते के दक्षिण की तरफ है जिस पर वादी का कब्जा गत रकबा के अनुसार पूर्व से ही चला आ रहा है, जिसमें वादी ने अपनी एक झोंपडी व एक टीनशेड डालकर पक्का कमरा बना रखा है और रास्ता ख0नम्बर 396वादी की उक्त जगह के वतरफ पूरव स्थित है। जिससे वादी के हाल ख0नम्बर 310/0.40की आराजी भिडी हुई है। लेकिन बंदोवस्त विभाग ने गलत तरीके पर वादी की आराजी को उसके गत रकबा के अनुसार कायम नहीं केया और 8 ऐयर रकबा नवीन खसरा खसरा नम्बर 310/0.40 में कम दर्ज करते हुए उसे विवादित ख0नम्बर 396/0.56 में शामिल कर दिया।

अतः निवेदन है कि आ.ख.नम्बर 396/0.56, वाके ग्राम खोह तहसील डीग में से रकबा 8/56 जो डीग से सीकरी जाने वाली सडक के वतरफ दक्षिण भिडा हुआ है,का वादी खातेदार है पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमायें।

वा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 07.02.2022 को बाव सरकार/प्रति0 के द्वारा पेश किया गया। जबाव में वर्णित है कि मुताविक नकल मिलान त्रफल के साविक ख0 नम्बर 2260 रकबा 14 विस्वा, 2261 रकबा 1बीघा 4 विस्वा से हाल ख0नम्बर 9 रकबा 0.30 हैक्टे0 व साविक ख0 नम्बर 2257 रकबा 1बीघा 12विस्वा व 2258 रकबा 1बीघा वेस्वा से हाल ख0 नम्बर 310 रकबा 0.40 हैक्टे0 बनाया गया है। वादी द्वारा जो बयनामा फोटो ॉपी प्रस्तुत की है में हाल ख0 नम्बर 309 व 310 का कुल रकबा 0.70 हैक्टे0 दर्ज है जो वादी रा क्रय किया है तथा वर्तमान में वादी की खातेदारी भूमि में है। हाल खसरा नम्बर 396 रकबा 0. ,हैक्टे0 किस्म गै0मु0रास्ता0 राज0सरकार दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा हाल ख0 नम्बर 396 का

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

Scanned by AnyScanner

मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई साविक नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। वादी द्वारा सिवायचक ख0नम्बर 396 में किस आधार पर खातेदारी चाही है,कोई साविक व हाल राजस्व भूमि लेख प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित ख0नम्बर 396 की किस्म गै0 मु0रास्ता है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है एवं राज0टि0एक्ट 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आती है। ऐसी स्थिति में दावा वादी काविले खारिजी के है।

दिनांक 01.04.2022 को प्रकरण में निम्नांकित तनकी कायम की गईः–

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 396/0.56 स्थित ग्राम खोह तहसील डीग में से रकबा 8/56 का खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है। –वादी
2. आया वादी,प्रति0को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद करा पाने का अधिकारी है। –वादी
3. आया दावा वादी धारा 16,आर.टी.एक्ट से बाधित है। –प्रति0
4. दादरसी।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण के द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

वादी कशमीर ने साक्ष्य वादी में अपने स्वयं के व गवाह रामवीर पुत्र धनमत कॉम गुर्जर नि0 गुहाना तहसील डीग के बयान कराये गये, दिये गये बयानों में वादी व गवाह ने वर्णित आराजी 8ऐयर पर कशमीर का ही कब्जा वताया गया है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी अन्तिम चौसाला सम्वत 2073–2078 प्रदर्श पी–1,आंशिक नकल सम्वत 2072–2075 प्रदर्श पी–2,नक्सा ट्रैस ग्राम खोह प्रदर्श पी–3,नक्सा सजरा किश्तवार मौजा ग्राम खोह प्रदर्श पी–4, जमाबन्दी खेवट खतौनी प्रदर्श पी–5, जमाबन्दी खेवट खतौनी 2027–2030 प्रदर्श पी–6,मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग प्रदर्श पी–7,8, है।

तनकी अनुसार प्रकरण का निर्णय निम्नांनुसार वर्णित हैः–

तनकी संख्याः–1, हाल आराजी खसरा नम्बर 396 रकबा 0.56, हैक्टे0 किस्म गै0 मु0 रास्ता0 राज0 सरकार दर्ज रिकार्ड है। विवादित ख0 नम्बर 396 की किस्म गै0 मु0 रास्ता है जोकि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है एवं राज0टि0एक्ट 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आती है। वादी के द्वारा इस तनकी संख्या 1 को सावित किये जाने हेतु ना ही किस्म परिवर्तन का उल्लेख किया गया एवं सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड में मिलान क्षेत्रफल, साविक जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

Scanned by AnyScanner

तनकी संख्या-3, विवादित आ0 ख0 नम्बर 396 की किस्म गै0 मु0 रास्ता है जोकि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है एवं राज0टि0एक्ट 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आती है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 3, प्रति0 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

वादी ने आराजी खसरा नम्बर 396 जोकि गै0 मु0 रास्ता है का मिलान क्षेत्रफल,साबिक जमाबन्दी पेश नहीं की और न ही उक्त नम्बर पर अपना वाद किस्म परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। वर्णित आराजी राज0टि0एक्ट 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आती है। ऐसी स्थिति में हम वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट. को अस्वीकार/खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :-

वादी का दावा उपलब्ध साक्ष्य से साबित नहीं होने एवं वांछित राजस्व रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा उपलब्ध राजस्व रिकार्ड/जबाव सरकार में स्पष्ट उल्लेख है कि वादी के दावे में वर्णित आराजी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि है एवं राज0 टि0एक्ट 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आती है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा अस्वीकार/खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)
उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)
उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

Scanned by AnyScanner